HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 1638/2026

Taufiq Khan S/o Shri Aasin Khan, Aged About 18 Years, R/o Nangal Ratawat, Police Station Akbarpur, District Alwar (Raj.)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp, Alwar, (Raj.)

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Deepak Chauhan Ms. Riya Singh Chauhan Mr. Vikas Gurjar
For Respondent(s)	:	Mr. A.K.Gupta, PP Mr. Shubham Saini, AAAG

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

23/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत पुलिस थाना अकबरपुर जिला अलवर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 15/2026 अपराध अंतर्गत धारा 318(4), 61(2) भारतीय न्याय संहिता एवं 66–डी सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि उसे खेत में बैठे हुए को पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। प्रकरण में कोई निजी व्यक्ति परिवादी नहीं है और कोई पीड़ित भी सामने नहीं आया है। मोबाइल पर 6 क्यू आर कोर्ड मिलने मात्र से प्रार्थी को अपराधी नहीं माना जा सकता। उससे कोई बरामदगी नहीं की जानी है। वह 18 वर्ष की आयु का व्यक्ति है। अन्वेषण भी लगभग पूर्ण हो चुका है। वह दिनांक 10.01.2026 से अभिरक्षा में है, उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। अतः उसे जमानत का लाभ दिया जाए।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी पर धारा 318(4), 61(2) भारतीय न्याय संहिता एवं 66–डी सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम के अपराधों का अभियोग है। साइबर पोर्टल 1903 पर 8 अन्य शिकायतें दर्ज हैं तथा उसका स्क्रीन शॉट के जो बैंक खातों का विवरण मिला है उसमें प्रार्थी का भी एक बैंक खाता है। अभी प्रकरण अन्वेषण के प्रक्रम पर है। गम्भीर अपराध है, अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।

हमने तर्क–वितर्क पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध धारा 318(4), 61(2) भारतीय न्याय संहिता एवं 66–डी सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम में क्यू आर कोड तथा उसके स्वयं के नाम का बैक खाते का विवरण मिला है। उसके मोबाइल नंबर की साइबर ठगी के सम्बन्ध में नेशनल साइबर अपराध पोर्टल 1930 पर 5 ऑनलाइन शिकायतें दर्ज होना पाया गया है। प्रार्थी के विरूद्ध विभिन्न मोबाइल धारकों को कॉल कर प्रलोभन देकर धोखाधड़ी करके रूपये का संव्यवहार कर ठगी करने का अभियोग है। अभी अन्वेषण पूर्ण नहीं हुआ है।

वर्तमान् में ऑनलाईन ठगी के अपराधों में निरन्तर वृद्धि हो रही है तथा अभियुक्त विभिन्न तरीकों से साइबर ठगी में लिप्त रहते हैं। इन अपराधों में लिप्त अभियुक्तगण एक–दूसरे के सम्पर्क व सहयोग में होते हैं और अपराध में सभी अभियुक्तगण की अपनी–अपनी सक्रिय भूमिका होती है, जो अपने कृत्य द्वारा अपराध को सुगम (facilitate) बनाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार सभी अभियुक्तगण संगठित आपराधिक गिरोह के रूप में कार्य करते हैं और अनजान लोगों को उनके मोबाईल पर विज्ञापन, प्रलोभन, अश्लील वीडियो आदि भेजकर लाखों रूपये की राशि प्राप्त कर ठगी कारित करते हैं।

इस प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यात्मक स्थिति से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत नहीं होता है कि प्रार्थी–अभियुक्त को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया जा रहा हो। अभी प्रकरण में ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में अन्य आवश्यक गहन अनुसंधान किया जाना बताया गया है। यदि उसे जमानत पर मुक्त किया जाता है तो अनुसंधान में बाधा उत्पन्न होने की आशंका से इन्कार नहीं किया जा

सकता है। उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

AJAY KUMAR SINGHAL /48